



उत्तराखण्ड न्यायिक अखण्ड

11AA 444272

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

प्रारूप-26

(नियम 4-क देखिए)

श्री राजेश कुमार विद्यालोक निर्वाचन क्षेत्र से किचानसभा (सदन का नाम) के लिए निर्वाचन के लिए स्टैंडिंग ऑफिसर के सम्मुख अग्रणी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथपत्र।

मैं श्री राजेश कुमार पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री. फकीरुद्दीन, आयु 40 वर्ष, जो निवासी-
 प्लॉट नं. 18/3, 2 फ्लोर, अटोमोबाइल, बाला रोड, देहरादून का/की
 निवासी हूँ और उपरोक्त निर्वाचन में अग्रणी हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता/करती हूँ/शपथपत्र
 पर निम्नलिखित कथन करता हूँ/करती हूँ-

1 मैं ऐसे किसी ललित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त नहीं हूँ जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरहित किया गया है/किए गये हैं।

(यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त है, तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/करेगी):

मेरे विरुद्ध माननीय न्यायालय में निम्न वाद ललित है- अज्ञान

- (i) मागला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याएं _____
- (ii) पुलिस थाना (थाने) _____ जिला या जिले _____ राज्य _____
- (iii) संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण _____ जिसके(जिनके) लिए अग्रणी आरोपित किया गया है- _____
- (iv) न्यायालय जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई है _____

(Handwritten signature)

- (v) तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किया गया था/किए गए थे-
- (vi) क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकی गई है/है

2 मुझे किसी अपराध (अपराधों) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अन्तर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न के लिए सिद्धदोष नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास से दंडादिष्ट नहीं किया गया है।
(यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दंडादिष्ट किया गया है, तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा)-

- (i) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याएं-
- (ii) न्यायालय, जिसने दंडित किया है-
- (iii) पुलिस थाना (थाने) जिला (जिले) राज्य
- (iv) संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसको (जिनको) लिए अन्यथा आरोपित किया गया है-
- (v) तारीख (तारीखें) जिनको दंडादेश सुनाया गया था/सुनाए गये थे-
- (vi) क्या दंडादेश सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकना गया है/रोके गए है-



स्थान- देहरादून।

के हस्ताक्षर

तारीख- 12/9/2012

अभिसाक्षी

सत्यापन

मैं, ऊपर नामित अभिसाक्षी, यह सत्यापित करता/करती हूँ कि इस शपथपत्र को अन्तर्वस्तु मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है और कोई तात्विक बात छिपायी नहीं गई है।

देहरादून स्थान पर आज तारीख

को सत्यापित किया।

अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

This affidavit is sworn before me by
Shri Nasir Ahmad
who is identified by Shri,
at Dehradun on

12/9/2012

Smt. SHYAM DATA VERMA
Advocate & NOTARY, Dehradun